

अभिलेख उपस्थापित अंचल अधिकारी, के पत्रांक

दिनांक 13/01/18 के द्वारा अभिलेख सं0 410/16-17 प्राप्त हुआ है जिसमे अंचल अधिकारी, द्वारा बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के तहत कार्रवाई करते हुए संपूर्ण जॉच के उपरांत इस वाद मे कायम जमाबंदी को वैध ठहराते हुए BLRA 1950 के धारा 4(h) के तहत कार्रवाई समाप्त करने के उपरांत सरकार के संयुक्त सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के पत्रांक 05/स0 भू0 को0 (अवैध हस्तांतरण) 123/2016-2861/रा0 दिनांक 08.06.17 के आलोक मे पूर्व से कायम जमाबंदी को नियमितिकरण करने से संबंधित निम्न भूमि का अनुशंसा के साथ प्रस्ताव प्राप्त है।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रक्वा	जाति
1	2	3	4	5	6
रिक्षी	60	33	362/5, 252 82, 314/1	4.00 E, 0.20 E 0.14, 0.05 E	0.82 E

अतः अंचल अधिकारी, से प्राप्त अनुशंसा के आलोक मे एवं सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के निदेशानुसार श्री/ श्रीमती/ सुश्री संरक्षित कांसा देवी पिता श्रीमत समुद्री देवी ग्राम रिक्षी के नाम से पंजी ii मे दर्ज एवं अनुशंसित उपरोक्त भूमि की जमाबंदी को नियमितिकरण करने हेतु अनुशंसा किया जाता है। तथा निर्गत शुद्धि पत्र की स्वीकृति दी जाती है।

तदनुसार प्रस्तावित भूमि की पूर्व से कायम जमाबंदी को नियमितिकरण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित।

23.1.2018
भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
द्वूटी।

24.1.2018
अनुमष्टुल पदाधिकारी,
द्वूटी।